संख्या- 10/2024/3447/30-03-2023

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2024

विषय:- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 15-05-2023 में अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पूंजीगत पक्ष की योजनाओं पर व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2053स0सु0/2023-14स0सु0/2019(Vol-3), दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 15-05-2023 के कार्यवृत्त में वित्तीय वर्ष 2023-24 परिवहन विभाग : प्रस्तावित पूंजीगत योजनायें : 42 अन्य व्यय की तालिका के क्रमांक (1) पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 05 डी0टी0टी0आई0-गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी एवं मथुरा में चालकों के प्रशिक्षण हेतु वाहन तथा सिमुलेटर (एल0एम0वी0/एच0एम0वी0) के क्रय एवं स्थापना हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही क्रय हेतु आवश्यक धनराशि रू0 680.00 लाख (रू0 छः करोड़ अस्सी लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-403-X-2023-24, दिनांक 16 जनवरी, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 10/2024/3447(1)/30-3-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।